



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

संख्या:- 166 / 12.1 देहरादून: दिनांक: 18 जुलाई, 2026

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),

भारत सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय,

25-सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद-अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक तिनगैर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/19494/2016)

संदर्भ:- भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के EDS दिनांक 04.11.2025।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 04.11.2025 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 08/12-1(2) दिनांक 02.07.2026 से प्राप्त आख्या मय संलग्न प्रकरण पर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 यथासंशोधित-2023 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीया,

Moshi
(मीनाक्षी जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

पत्र संख्या 166 / 12.1/दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

Moshi
(मीनाक्षी जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 08 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक 02/07/2026.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक तिनगैर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(प्रस्ताव सं०- 19494/2016)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं०-08 बी/यू०सी०पी०/०६/५२/२०२२/एफ०सी०/दिनांक ०४.११.२०२५

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 7539/12-1, दिनांक- 24.06.2026 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है, कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय


(चन्द्र शेखर जोशी)
वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

उभारी अल्मोड़ा।
आ. का. के. र.


आ. प्र. व. सं. नो.
87-26

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
जी० सं० 268
शबली 12-1
संक. 03-07-26

दिनांक 27/6

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 7539 / 12-1 अल्मोड़ा दिनांक 24/06/2026

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊं वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय — जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक तिनगैर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं० 19494/2016)

सन्दर्भ — भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र सं०-08बी०/यू०सी०पी०/०६/५२/२०२२/एफ०सी० दिनांक 04.11.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा बिन्दु सं० 1 में लगायी गयी आपत्ति के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के पास किया गया निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में स्थलीय निरीक्षण करते हुए मौके पर पायी गयी स्थिति के अनुसार ही आख्या उपलब्ध करायी गयी थी, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् पुनः प्रेषित किया जा रहा है—

1. The extent of the violation area, including its length and width.

आख्या— प्रस्तावित मोटर मार्ग के पास किये गये निर्माण कार्य का अधोहस्ताक्षरी द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया, मौके पर किया गया कटिंग कार्य वन पंचायत भूमि में होना पाया गया, जिसमें वन पंचायत प्रबन्ध समिति द्वारा देखभाल एवं कार्यवाही की जाती है। निरीक्षण में मौके पर सरपंच भी उपस्थित थे जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखण्ड द्वारा हाट द्वारा यह कटिंग कार्य किया गया है, जोकि कुल 0.945 किमी० लम्बाई व 2 से 3 मी० चौड़ाई में निर्माण कार्य किया जाना पाया गया है। प्रस्तावक विभाग प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० अल्मोड़ा, जिनके द्वारा मोटर मार्ग हेतु प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड किया गया है के द्वारा कटिंग कार्य नहीं किया गया है। मौके पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण में वन पंचायत सरपंच को निर्देशित किया गया कि प्रकरण पर वन पंचायत नियमावली के अंतर्गत कार्यवाही की जानी है।

2. The Nature and details of violation .

आख्या— बिन्दु सं० 1 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। बिन्दु सं० 1 के तथ्य सम्मिलित करते हुए यह स्पष्ट है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग कार्य नहीं किया गया है, जिस हेतु सरपंच को निर्देशित किया गया। अतः प्रकरण पर प्रस्तावक विभाग के द्वारा एफ०सी०ए० 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है एवं Local Laws के तहत सरपंच द्वारा कार्यवाही की गयी है।

3. The action taken or proposed to be taken against the responsible agency/person(s), if any.

आख्या— प्रकरण पर एफ0सी0ए0 का उल्लंघन नहीं हुआ है एवं गाईडलाईन्स के अनुसार ऐसे प्रकरणों में **Local Laws** के तहत कार्यवाही की जाती है। वन पंचायत द्वारा वन पंचायत नियमावली 2005 (यथासंशोधित 2012 एवं 2024) की धारा 19(6) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए कार्यदायी संस्था/ठेकेदार से रु0 45000.00 का अर्थदण्ड वसूल कर लिया गया है, उक्त धनराशि से वन पंचायत द्वारा वृक्षारोपण कार्य भी करा लिया गया है। (अभिलेख संलग्न हैं)

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 7539 / 12-1 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि— अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

सेवा में: प्रमगीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग,
द्वारा - श्रीमान वनक्षेत्राधिकारी,
वन क्षेत्र सोमेश्वर।

विषय: रौलाखरक तिनोर मोटर मार्ग प्रकरण के
सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि वर्ष 2022 के
अन्तर्गत तिनोर रौलाखरक मोटर मार्ग का वन
पंचायत मल्हाल गाँव में जी व्यवस्था निर्माण हुआ था।
उसके सम्बन्ध में सरपंच वनपंचायत मल्हाल गाँव
द्वारा सम्बन्धित डेकपार पर उचित कार्यवाही करते
हुए, 45,000 रु० का पुर्नर्मा करा गया है। जिसकी
धनराशि वनपंचायत मल्हाल गाँव के खाल सेख्या -
760 243 88 467 (उत्तरखण्ड गरीबों के) में दिनांक
03-09-2025 के प्राप्त हुआ है तथा रौलाखरक ग्राम
वासियों के सहयोग व सूर्यच मल्हाल द्वारा वनपंचायत में
लगभग 1000 पौधों का रोपण भी कर दिया गया है।

अतः महोदय सरपंच वनपंचायत मल्हाल गाँव द्वारा
उक्त प्रकरण पर विधिकार कार्यवाही कर ली गयी है
तथा वोकी जी कार्यवाही आप अपने अनुसार करने
कृपा कीमिरगा।

धन्यवाद।

दिनांक - 06/09/2025

Received
06/09/2025

Varadha
समस्त
वन पंचायत मल्हाल गाँव

कार्यालय वन क्षेत्र अधिकारी सोमेश्वर
पत्रांक... 66/10 विनांक... 6.1.23

मूल में, जीमान प्रभागीय
वनधिकारी मधेख अल्मोडा के सेष
में सूचनार्थ संप्रति लिखित किया निर्देश
है साथ प्रेषित। मधेख वन प्रभाग
को वन क्षेत्र प्रभाग रानीखेत के गंगास
रेख अन्तर्गत आती है।

वन क्षेत्र अधिकारी
सोमेश्वर वन क्षेत्र

अल्मोडा वन प्रभाग अल्मोडा

पंजीकृत सं. 852

कार्य सं. R-1(2)

दिनांक 9-9-23

सूचित

प्राप्ति स्वीकार

वन सहायत ग्राम सल्याल जीव

पत्रालय कुलसीया जिला हल्दीडा...

क्रमांक 98

दिनांक 25/08/2025

श्री/श्रीमती ... निरंज सिह कुलवाल ...

पुत्र/पत्नी ... ग्राम गडस्यारी ... बालों से

रुपये 45,000/- ... वैसे --0 ... (शब्दों में)

पैंतालीस हजार मात्र की मद से सघन्यवाद प्राप्त किए।

रु० 45,000/-

चिलियानोला प्रेस रानीखेत फोन ११६।

प्रेषक,

खण्ड विकास अधिकारी,
द्वाराहाट-अल्मोड़ा

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

पंजीकृत सं. 11762

फाईल सं. H-102

दिनांक 23-4-2025

पत्रांक 56 /अन0फण्ड/योजना/सूचना/2025-26 दिनांक 17.04.2025

विषय: जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा सोमेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित रौलाखरक-तिनगैर मोटर मार्ग के पास से अन्य मोटर मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 1974/12-1(2)/अल्मोड़ा दिनांक 22-10-2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें विधान सभा सोमेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित रौलाखरक-तिनगैर मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित संरक्षण के समीप से ही एक अन्य मार्ग का निर्माण कार्य कर FCA 1980 का उल्लंघन करने तथा उक्त निर्माण कार्य को वन पंचायत भूमि पर किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट करने हेतु अवगत कराया गया है।

अतः उक्त क्रम में निम्नलिखित तथ्य सेवा में प्रस्तुत हैं।

- 1- योजना के निर्माण हेतु श्रीमान् जिलाधिकारी अल्मोड़ा के कार्यालय पत्रांक 2186 दिनांक 29 दिसम्बर 2021 के द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई। ज्ञातव्य है कि प्रा0पा0 मुझोली बूथ स्थल होने के कारण ग्रामवासियों को स्थल तक पहुँचाने के लिये अतिशीघ्र कार्य करवाने हेतु अनटाईड फण्ड के अन्तर्गत मल्यालगाँव मुख्य सड़क से रौलाखरक होते हुये प्रा0पा0 मुझोली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि आंबटित की गई थी।
- 2- मार्ग निर्माण हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 38 दिनांक 07 अप्रैल 2022 को श्री बिशन सिंह कनवाल, ग्राम गड़स्यारी, पो0-बेड़गाँव, जिला-अल्मोड़ा को कार्यादेश जारी किया गया। (कार्यादेश संलग्न है।) मार्ग निर्माण हेतु जारी कार्यादेश में बिन्दु संख्या (3) पर उल्लेखित किया गया है कि उक्त कार्य में कार्य-स्थल पर किसी भी ग्रामवासी की व्यक्तिगत भूमि/वनभूमि आदि के न होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य प्रारम्भ करने के दौरान ग्रामवासियों की व्यक्तिगत भूमि/वन भूमि कटाव होने की स्थिति में इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसका वहन आपके द्वारा स्वयं किया जायेगा।
- 3- उपरोक्त कार्यादेश के अनुसार सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा सरपंच मल्यालगाँव व ग्रामवासियों का हस्ताक्षरित अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।
- 4- कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0नि0वि0) विकास खण्ड-द्वाराहाट द्वारा 950 मी0 कार्य का मूल्यांकन किया गया। इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग लगभग 2.00 किमी0 है, जिसके सापेक्ष मात्र 950 मी0 मार्ग का निर्माण विकास खण्ड द्वारा किया गया जोकि ग्राम पंचायत की भूमि है। यह भी अवगत कराना है कि रौलाखरक ग्राम से लीसाटाल डीपो की ओर वन पंचायत क्षेत्र में ग्रामवासियों का पूर्व से प्रचलित मार्ग है तथा ठेकेदार द्वारा अवगत कराया गया है कि इस कार्य के इतर ड्रेसिंग का कार्य किया गया है। (प्रति संलग्न है।)
- 5- ज्ञातव्य है कि उपरोक्त मार्ग निर्माण हेतु अनापत्ति सरपंच वन पंचायत मल्यालगाँव द्वारा दी गई थी। साथ ही उक्त मार्ग के जिस भाग का मूल्यांकन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किया गया उस स्थल पर कोई भी वृक्ष का कटान नहीं किया गया है।

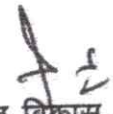
(2)

6-मार्ग निर्माण के दौरान वन विभाग तथा ग्राम मुखोली में तैनात वन दरोगा इत्यादि के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। यह भी अवगत करना है कि मार्ग निर्माण हेतु कार्यालय से जारी कार्यादेश के अनुसार अनुबन्धित ठेकेदार को ग्राम पंचायत/वन पंचायत की भूमि पर कटान न किये जाने की जिम्मेदारी दी गई थी तथा इनके द्वारा इस मार्ग में वन पंचायत की भूमि होने के सम्बन्ध में कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया। अतः उपरोक्त क्रम में महोदय से अनुरोध है कि इस प्रकरण को निस्तारित करने का कष्ट

करें।

सैलगन - (03)

भवदीय,


खण्ड विकास अधिकारी,
द्वाराहाट-अल्मोड़ा।

श्री बिशन सिंह कनवाल, राजकीय ठेकेदार,
ग्राम-गडस्यारी-पो-बेड़गाँव,
अल्मोड़ा।

उपरोक्त विषयक आपको अवगत करना है कि अनटाईड फण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि रु 2,00,000.00 (दो लाख) मात्र से मल्यालगाँव मुख्य सड़क से रौलाखरक होते हुये प्राणामुखोली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्राप्त कोटेशनों में आपके द्वारा डाली गई दरें न्यूनतम होने के कारण आपके नाम से निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जाती हैं।

2- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व रु० 100.00 के स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें योजना से सम्बन्धित कार्योत्प्रेषण की दृष्टि व समय-सीमा आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

2- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मु0 100.00 के स्टाम्प पत्र प्रस्तुत किया जाय।
विवरण स्वीकृत धनराशि कोटेशन की दरें व समय-सीमा आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
_____ ने कार्य-स्थल पर किसी भी ग्रामवासी की व्यक्तिगत भूमि/वनभूमि आदि के न होने से सम्बन्धित _____ की व्यक्तिगत भूमि/वन भूमि का कटाव

3- उक्त कार्य में कार्य-स्थल पर किसी भी ग्रामवासी की व्यक्तिगत भूमि/वनभूमि आदि का कटाव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य प्रारम्भ करने के दौरान ग्रामवासियों की व्यक्तिगत भूमि/वन भूमि का कटाव होने की स्थिति में इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसका वहन आपके द्वारा स्वयं किया जायेगा।

प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसका वहन आपके द्वारा स्वयं किया जायेगा। 4-योजना में भुगतान अपर सहायक अभियन्ता (प्रान्ति/वि०) द्वारा कृत कार्य-मूल्यांकन के आधार पर तथा अन्तिम भुगतान एम०बी० प्रतिहस्ताक्षरित होने के पश्चात किया जायेगा।

5-स्वीकृत दरें 6 माह के लिये मान्य होंगी।
6-किसी भी प्रकार के परिवार के लिए न्यायिक क्षेत्र-द्वारा हाट जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ही मान्य होगा।

अतः आप निम्न शर्तों के अधीन समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ करवा दें, यदि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार यांचित अमिलेख कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो भविष्य में योजना में भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

[illegible]

आज दिनांक - 21.11.2024 को कार्यालय अधिष्ठात्री अभियन्ता
प्रान्तीय स्तर लोक निर्माण विभाग 'बल्लोडा' के कार्यालय पर स. 1344/7 सी
दिनांक - 04.06.2024 व प्रेमाणीय बनाधिकारी बल्लोडा के
कार्यालय पर स. 3479/12-1(2) दिनांक - 01.02.2024 एवं
सुयुक्त प्रजिस्ट्रेट कार्यालय पर स. 113/मु दिनांक - 24.10.2024
के क्रम में रौलावरु तिनौर तक ग्रेटर मार्ग के निर्माण
हेतु 1.925 हे. वन क्षति का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक नि. वि.
को प्रस्तावित (प्र. स. 1944/2016) विष्णु प्रस्तावित ग्रेटर
मार्ग के सुरेख के पास से अन्यत्र मार्ग का निर्माण स्थानीय
ग्रामवासियों द्वारा किया गया के संबंध में- सुयुक्त निरीक्षण
प्रान्तीय स्तर लोक नि. वि. बल्लोडा के सहित अभियन्ता श्री के. जे.
गोस्वामी, व ऊपर सहित अभियन्ता श्री हिमांशु जेठी व कविश्वर
वनक्षेत्र सेक्टर व वन दफ्तर श्री गोपाल राम भार्गव व राजेश
उपनिरीक्षक श्री रूखाला राम (नं. 3) व स्तर विकास कार्यालय से
प्राप्त कि स. श्री जगदीश चंद्र व ग्राम प्रधान श्रीमती रेवू देवी
व ग्रामवासियों की उपस्थिति में उक्त ग्रेटर मार्ग का निरीक्षण किया
गया।

उक्त मोटर मार्ग के सम्बन्ध में ग्रामवासियों व अन्य लोगों द्वारा बताया गया कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण अनुराग्रह करके - मल्हासगांव मुख्या सड़क से रौलारकर होते हुए प्रा० पा० मुजोली - मोटर मार्ग की स्वीकृत धराराशि - २.०० लाख कार्यवाही सत्यान - कि २००० वरसात वर्ष - २०२१-२२. व ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया वर्तमान में उक्त मोटर मार्ग रूखाडिगि जोन होने से जगह जगह पर मार्ग अतिशयस्त है जिसमें किसी प्रकार को यातायात व पैदल मार्ग उपयोग में नहीं लाया जा रहा है ना हि भविष्य में उक्त मोटर मार्ग का सफल संचालन नहीं हो सकता है उक्त मोटर मार्ग की रूप से बन्द है

(C.A.)
 (जोषाल राम ठाणे) ग्राम प्रधान
 वन देगा
 वि०ख०-३५
 वि०ख०-३५

2/14/24
Kimmberly J. Lee
AE PD 1102 Attorney

2/14/24
K.G. Gossard
AE DA 1112 Attorney